खण्ड-430, अंक-9
गुरूवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1921
(1 अप्रैल, 1999 ई0)

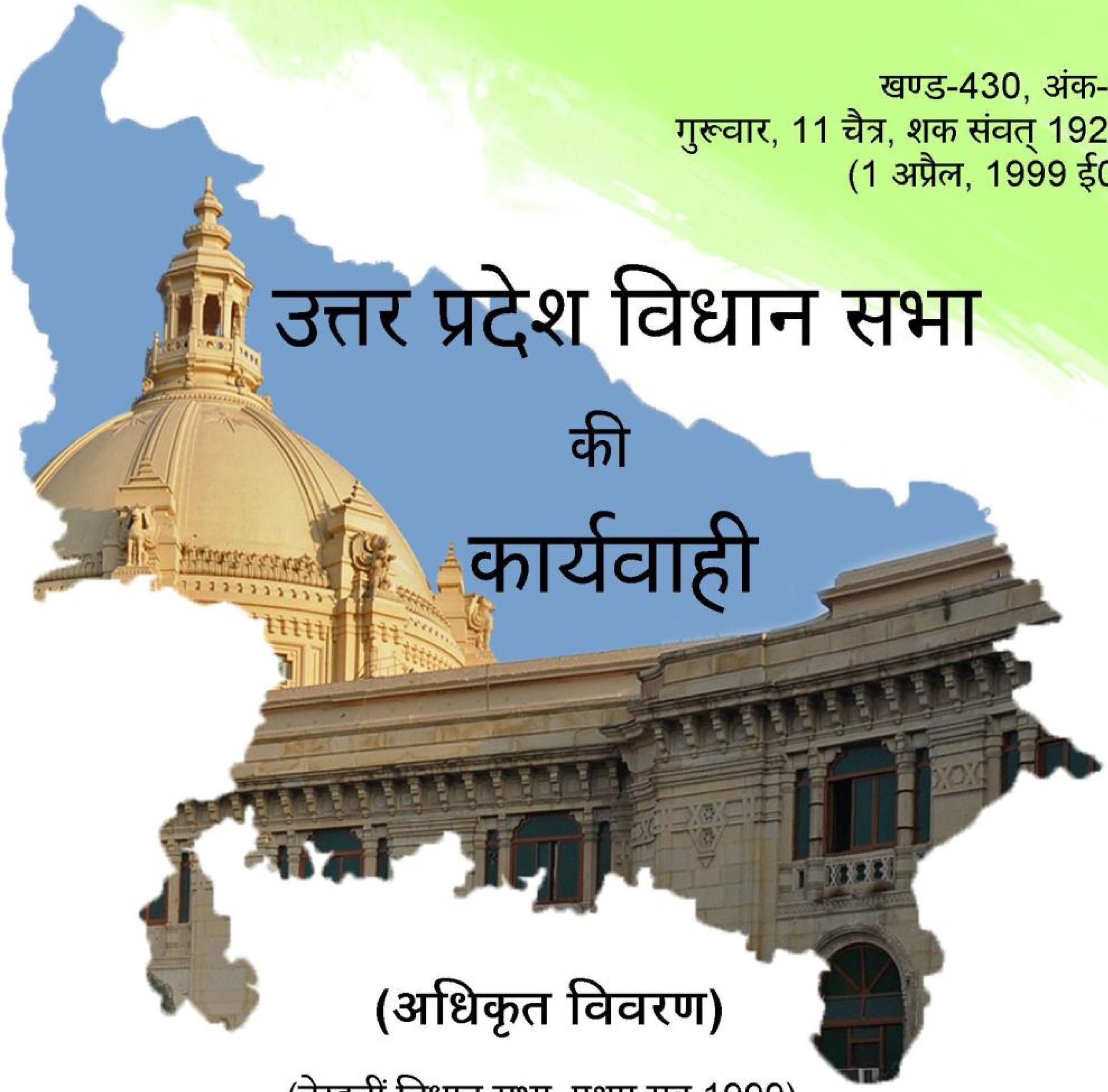

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
–नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाने का प्रयास... ...	1
–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (सोलहवां संशोधन) विनियम, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया)	1
–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 त्रुटियों के शोधन का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	1
–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में भूगोल के प्रश्न-पत्र में भारत के नक्शे में गड़बड़ी के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना (जारी)	2–5
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	6
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	6
–उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	6
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	6
–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	7
–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	7
–उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	7
–उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	7
–उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	7
–उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	8
–उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	8
–उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	8

विषय	पृष्ठ संख्या
–जनपद अल्मोड़ा के ग्राम दन्या में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित किये जाने के संबंध में श्री बची राम पाठक तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	8
–सेवा निवृत्त कर्मियों को खादी बोर्ड के कर्मियों की भांति पेंशनीय लाभ-अनुमन्य कराये जाने के संबंध में श्री सी० एल० कुरील तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	9
–जनपद गोण्डा के खरगूपुर बाजार तथा बौद्धस्थल श्रावस्ती के बीच कुआनों नदी पर पुल निर्माण तथा सड़क की पेन्टिंग कराये जाने के संबंध में श्री राजीव कुमार रस्तोगी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	9
–जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत देहरा धौलना गुलावटी मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राकेश सिंह तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	9
–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम पट्टी बेजाव में राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के संबंध में श्री शम्भू नाथ उपाध्याय द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	9
–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में भूगोल के प्रश्न पत्र में भारत के नक्शे में गड़बड़ी के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	10–11
–जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में महिला चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में श्री राम कृपाल शुक्ल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12
–जनपद गोण्डा स्थित दुबहा बाजार से कटवा नाला चौराहे तक के मार्ग का लेपन स्तर तक बनवाये जाने के संबंध में श्री अमरेश बहादुर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12
–जनपद गोण्डा के कौड़िया बाजार से अशोकपुर मार्ग तक के अवशेष भाग को लेपन स्तर तक बनवाये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12
–जनपद बाराबंकी की तहसील राम नगर के ग्राम धौखरिया में निर्मित ड्रेन (बरसाती नाला) के ऊपर पुलिया बनवाये जाने के संबंध में श्री अनिल कुमार पाठक व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12
–जनपद गोण्डा की तहसील कर्नलगंज स्थित कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री राम विलास यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12
–जनपद गोण्डा के ग्राम सभा कटुआ नाला में एक पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में श्री राम विलास यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	13

अविशुद्ध प्रतिलिपि

विषय	पृष्ठ संख्या
–जनपद गोण्डा के कटुआ नाला विकास खण्ड कटरा बाजार में महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री राम विलास यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	13
–जनपद गोण्डा के ग्राम परियावां तहसील तरबगंज स्थित पकड़ी बन्धा मार्ग तथा बन्धा से रागी तुलसीपुर मार्ग पक्का कराये जाने के संबंध में श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	13
–जनपद उन्नाव के ब्लाक बीघापुर ग्रा० मीरमऊ में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री विनोद कुमार लोधी तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	13
–जनपद बरेली की बन्द नेकपुर चीनी मिल को ग्राम सैदपुर कुर्मियाना (बरेली) में प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में श्री राधेश्याम तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	13
–जनपद बरेली नगर पंचायत सैथल में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री गुलाम हैदर जैदी तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	14
–विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	14
–श्री राधेश्याम सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री एल० एन० चौधरी, जिला ग्राम्य विकास अधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	14–15
–श्री शिव शंकर सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कैलाश चन्द्र कोतवाल बबेरू कोतवाली जनपद बांदा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	15
–श्री अमरमणि सदस्य, विधान सभा की श्री चन्द्रनाथ सिंह सदस्य, (सदस्य विधान सभा) द्वारा सदन में उन्हें तथा श्री जगदम्बिका पाल को ''समय माफिया'' कहे जाने विषयक विशेषाधिकार हनन से संबंधित सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	16
–लखनऊ से प्रकाशित ''द पायनियर दैनिक समाचार पत्र'' में ''पार्टीजन स्पीकर'' शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादक एवं लेखक द्वारा प्रयुक्त आपत्ति जनक शब्दावली के प्रकाशन पर श्री सच्चिदानन्द पाण्डे सेवानिवृत्त आई०ए०एस० लखनऊ द्वारा विशेषाधिकार हनन संबंधी सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	17
–श्री भोनू राम सोनकर सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राजन शुक्ला, जिलाधिकारी गाजीपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना से सम्बन्धित सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	18
–मा० अध्यक्ष द्वारा जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट सूचनाएं	19

अशोधित प्रतिलेख

विषय	पृष्ठ संख्या
–उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिए अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव' (स्वीकृत)	20
–उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (पुरःस्थापित)	20
–उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित)	20–22
–उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व–भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित) ...	22–26
–उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिए अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन हेतु मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	27
–पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु पैकेज दिये जाने के संबंध में दिये गये आश्वासन की घोषणा निर्धारित समय के भीतर सदन में न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	27–30
–परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा दिये गये त्याग-पत्र एवं लगाये गये आरोपों के संबंध में मुख्य मंत्री से वक्तव्य दिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	30–36
–सदन के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	37
–राष्ट्र-गान	37

अविशोधित प्रतिलेख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरूवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

1–अजय भट्ट, श्री अल्मोड़ा
2–अतीक अहमद, श्री इलाहाबाद
3–अनिल कुमार, श्री बलिया
4–अफरोज अली खां, श्री रामपुर
5–अब्दुल खालिक, श्री अलीगढ़
6–अमित अग्रवाल, श्री मेरठ
7–अमीर आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
8–अरविन्द गिरि, श्री खीरी
9–अरुणवीर सिंह, श्री बहराइच
10–अशफाक अहमद, श्री बरेली
11–अशोक यादव, श्री फिरोजाबाद
12–आनन्द प्रकाश, श्री पडरौना
13–उबैदुर्रहमान, श्री गोण्डा
14–ओइमूवेश, स्वामी बिजनौर
15–ओमकार सिंह, श्री बदायूं
16–ओम प्रकाश गुप्त, श्री सीतापुर
17–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
18–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री सहारनपुर
19–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री रामपुर
20–केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
21–के०सी०सिंह ''बाबा'', श्री ऊधम सिंह नगर
22–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
23–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
24–गंगा बख्श सिंह, श्री उन्नाव
25–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री झांसी
26–चन्द्रेश पासवान, श्री गोरखपुर
27–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
28–जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
29–ज्ञानवती सिंह, डा० अलीगढ़
30–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री गोरखपुर
31–तिलकराज बेहड़, श्री ऊधम सिंह नगर
32–दद्दू प्रसाद, श्री बांदा
33–दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
34–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर एटा
35–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री कानपुर देहात
36–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
37–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
38–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
39–नारायण राम दास, श्री अल्मोड़ा
40–निर्भय पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
41–परमानन्द दण्डी, स्वामी रामपुर
42–पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
43–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
44–प्रेम लता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
45–फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
46–फागू, श्री मऊ
47–बंशीधर भगत, श्री नैनीताल
48–बच्चा पाठक, श्री बलिया
49–बाबू राम, श्री जालौन
50–बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
51–बिजेन्द्र आर्य, श्री मुजफ्फरनगर
52–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
53–भगवती प्रसाद, श्री कानपुर देहात
54–मंजू, श्रीमती बलिया
55–मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
56–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
57–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० वाराणसी
58–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री बांदा
59–मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
60–मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
61–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री देवरिया
62–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना
63–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
64–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
65–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
66–राज राय सिंह, श्रीमती पीलीभीत
67–राजा राम पाल, श्री कानपुर देहात
68–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
69–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
70–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर

71–राम नक्षत्र, श्री — पडरौना
72–रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
73–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
74–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
75–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
76–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
77–राम सिंह, डा० — अलीगढ़
78–राम सिंह सैनी, श्री — हरिद्वार
79–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
80–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
81–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
82–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
83–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
84–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
85–वहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
86–विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
87–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
88–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
89–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
90–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
91–श्यामदेव राय चौधरी, (दादा), श्री — वाराणसी
92–श्रीनिवास मणि, श्री — देवरिया
93–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
94–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
95–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
96–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
97–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
98–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
99–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
100–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
101–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी

विधान सभा प्रदेश

गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाने का प्रयास

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस्तीफा तो होता रहता है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए । कार्य बहुत है, बहुत सी चर्चाएं हैं।

(मद संख्या –1 पुकारे जाने पर और कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश स्वीकार की गयी है, उसमें यह कहा गया है कि नियम–311 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (सोलहवां संशोधन) विनियम 1998†

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 13/19/91–कार्मिक–1–98, दिनांक 1 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (सोलहवां संशोधन) विनियम, 1998 को विलम्ब के कारणो सहित ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 320(5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जो स्वीकार की गयी है, उसके अनुसार इस सदन की कार्यवाही चलने दी जाये ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 त्रुटियों के शोधन का विवरण

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 में किये गये त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में भूगोल के प्रश्न पत्र में भारत के नक्शे में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

मैंने देख लिया है, यह नियम-311 में नहीं आती, इसकी अनुमति ही नहीं है ।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियम-311 को मेरी आंखों से पढ़ने की कोशिश करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 में अध्यक्ष की अनुमति से ही आयेगी । सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज कार्यसूची में बहुत कार्य है, कृपया कार्य चलने दीजिए । कृपया नियम-311 देख लीजिए, मैंने कई बार पढ़ लिया है ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी नजर से पढ़ लूंगा और आपके साथ पढ़ लूंगा ।

* श्री प्रमोद कुमार-

आज भारतवर्ष की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता खतरे में पड़ गयी है । उत्तर प्रदेश सरकार की जो उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् है उसकी परीक्षा में जो भूगोल का प्रश्न-पत्र है उसमें जम्मू काश्मीर को भारत के नक्शे से हटा दिया है । x x x । इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है । मैं आपको यह प्रश्नपत्र मूल रूप में देना चाहता हूं । इस नक्शे को आप देख लें । इसमें सियाचिन को पाकिस्तान को सौंप दिया गया है । यह भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रहार किया गया है । इससे गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती है । अगर यह नियम-311 में नहीं आता तो दुनिया में नियम-311 में कोई विषय नहीं आ सकता। यह भारत के स्वाभिमान से जुड़ा प्रश्न है, सार्वभौमिकता से जुड़ा प्रश्न है । भारत की एक-एक इंच भूमि जिसको बचाने के लिये देश के जवानों ने हजारों जाने कुरबान की हैं उस सियाचिन, जम्मू-काश्मीर के हिस्से को अलग कर दिया गया है । इससे गंभीर विषय और कोई नहीं हो सकता । उत्तर प्रदेश सरकार को अपने देश की भूमि को किसी दूसरे देश में शामिल किये जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव नियम-311 में दिया है वह स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियम-311 पर पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

इसी सदन ने तय किया है, कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया है आज नियम-311 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :- | x x x | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इससे ज्यादा गंभीर प्रश्न और कोई नहीं हो सकता जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गयीं हों तो नियमों का निलंबन करके नियम–311 को प्राथमिकता के आधार पर सुन लें नहीं तो नियम–311 की सार्थकता नहीं रह जायगी ।

* श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर,बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न-पत्र दिया गया है उसमें अंडमान निकोबार को भारत के नक्शे में नहीं दिखाया गया है और जम्मू काश्मीर को नहीं दिखाया गया है । उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही से देश की अखंडता और सार्वभौमिकता खतरे में पड़ गयी है । भारतवर्ष से दुश्मनी रखने वाले एजेंटों को यह प्रश्न-पत्र मिल गया है और वह इस मानचित्र को अंतराष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के खिलाफ प्रयोग करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप इस मानचित्र के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न तो कोई उठाया जा सकता है । लेकिन वह प्रश्न संगत नियमों के अन्तर्गत उठना चाहिये । इस सदन ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें हैं लेकिन क्या भारतवर्ष के मानचित्र से सियाचिन और जम्मू काश्मीर को हटा देंगे ।

मान्यवर, कल्याण सिंह सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिए । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो प्रस्ताव पारित किया है उसके अनुसार सदन की कार्यवाही चलने दीजिए । हम उस प्रस्ताव से बाध्य हैं । आप लोग शान्त रहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । बहुत ही गम्भीर प्रकरण यहां उठाया गया है उस पर आप सुन लें । यह देश की एकता व अखंडता का प्रश्न है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इण्टरमीडिएट की परीक्षा में छात्रों को जो भूगोल के प्रश्न-पत्र में नक्शा दिया गया है उसमें जम्मू कश्मीर को नहीं दर्शाया गया है । [x x x]

* डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

नेहरू जी ने भारत का काफी हिस्सा चीन को दे दिया था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग देखिये आज की कार्यसूची में कितने काम हैं । कार्यवाही को आगे चलने दीजिए । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाया है उसके बारे में कहना चाहूंगा । मेरी आग्रह माननीय सदस्यों से यह है कि आप ही प्रस्ताव लाते हैं, आप ही पारित करते हैं और आप लोग ही उसकी अवहेलना करते हैं । आपको अपनी बात कहने के लिए संगत नियम हैं । .....

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–311 में आपको विशेषाधिकार है आप नियमों को शिथिल करते हुये सुन सकते हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा० तिवारी जी, सुबाष जी, पाल जी एवं समरपाल जी ने अपनी बात कह दी अब आप संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लीजिए ।

श्री हुकुम सिंह–

प्रस्ताव यह था कि नियम 56, 51, 300, 301 व 311 की सूचनायें न ली जायं । मान्यवर, आपने निर्देशित किया कि आपको माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी बात पर कुछ कहना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश की एकता, अखण्डता के लिए यह दल, यह सरकार और केन्द्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । .....

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(श्री प्रमोद कुमार इण्टरमीडिएट परीक्षा में बांटे गये नक्शे की प्रति माननीय अध्यक्ष को दिखाते हुए सदन की वेल में आ गये । श्री प्रमोद कुमार के साथ श्री जगदम्बिका पाल, श्री कौकब हमीद एवं श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव भी सदन की वेल में आ गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप इसको देखें । भारत की एकता और अखण्डता के साथ समझौता नहीं हो सकता । यह जो नक्शा बंटा है इसको आप देख लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है हम उसके अनुसार चल रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, नियमों को शिथिल करना आपके हाथ में है । आप ग्राह्यता पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आप लोग अपना स्थान ग्रहण करिये ।

(वेल में आये हुए सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

(व्यवधान के मध्य)

आप माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर से संतुष्ट हों या न हों यह बात अलग है । लेकिन उन्हें सुन तो लें । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गए)

श्री हुकुम सिंह–

जिस दल की यह सरकार है उस दल के राष्ट्रीय नेता ने कश्मीर में जाकर श्रीनगर में झंडा फहराया था उस समय आप लोगों की वहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी । यह नक्शे की बात करते हैं । आज देश की जो हालत है वह इनके कुकर्मों का फल है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आप उनसे संतुष्ट होंगे या नहीं यह बात अलग है । लेकिन सदन की कार्यवाही तो चलने दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह–

यह मनगढ़न्त मानचित्र है । जिस नक्शे की बात कर रहे हैं यह सरासर मनगढ़न्त है । यह फर्जी नक्शा बनाकर लाए हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

आप मुझे ग्राह्यता पर सुन लें । उसके बाद संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष–

जिन लोगों को सुनना आवश्यक था, उनको मैंने सुन लिया । इस पर चार माननीय सदस्यों को सुन लिया । उसके बाद मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले संसदीय कार्यमंत्री का उत्तर आ जाने दीजिए, खाली व्यवधान के लिए व्यवस्था का प्रश्न न उठाएं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप कहिए तो मैं सीधे मद संख्या–79 ले लूं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनिये कि उनका उत्तर क्या है। मेरा संरक्षण है परन्तु वह नियमों के अन्तर्गत है और नियमानुसार है। अब कोई भी माननीय सदस्य बोलेंगे तो वह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

1—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 31 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 31 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा उनके दल के अन्य सदस्य, श्री प्रमोद कुमार तथा उनके दल के अन्य सदस्य और श्री कौकब हमीद तथा उनके दल के अन्य सदस्य तथा श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सदन के वेंल पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था तथा राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मार्च, 1999 के उपवेशन में

पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 1999 की बैठक

में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है । मद संख्या 6 और 7 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे ।

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम दन्या में राजकीय कन्या इन्टर कालेज स्थापित किये जाने के संबंध में श्री बची राम पाठक तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद–अल्मोड़ा के ग्राम दन्या में राजकीय कन्या इन्टर कालेज स्थापित किये जाने के संबंध में श्री बची राम पाठक तथा अन्य निवासीगण जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–† छापी नहीं गयी ।

सेवा निवृत्त कर्मियों को खादी बोर्ड के कर्मियों की भांति पेंशनीय लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में श्री सी० एल० कुरील तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सेवानिवृत्त कर्मियों को खादी बोर्ड के कर्मियों की भांति पेंशनीय लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में श्री सी० एल० कुरील तथा अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के खरगूपुर बाजार तथा बौद्ध स्थल श्रावस्ती के बीच कुआनों नदी पर पुल निर्माण तथा सड़क की पेंटिंग कराये जाने के संबंध में श्री राजीव कुमार रस्तोगी द्वारा हस्तक्षरित याचिका †

*श्री राम पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला गोण्डा के खरगूपुर बाजार तथा बौद्धस्थल श्रावस्ती के बीच कुआनों नदी पर पुल निर्माण तथा सड़क की पेन्टिंग कराये जाने के संबंध में श्री राजीव कुमार रस्तोगी, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत देहरा–धौलाना गुलावटी मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राकेश सिंह तथा अन्य द्वारा हस्तक्षरित याचिका †

*श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विकास खण्ड धौलाना जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत देहरा–धौलाना गुलावटी मार्ग का पुर्ननिर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राकेश सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या–12 एवं 13 पुकारे जाने पर माननीय सदस्यगण उपस्थित नहीं थे)

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम पट्टी बेजाब में राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के संबंध में श्री शम्भू नाथ उपाध्याय द्वारा हस्तक्षरित याचिका †

*श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम पट्टी बेजाब में राजकीय नलकूप स्थापित करने के संबंध में श्री शम्भू नाथ उपाध्याय, निवासी जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या–15 में माननीय सदस्य श्री नन्दराम के अनुपस्थित होने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–16-17-18 में कुछ नहीं है।

मैं सदन को 12.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 12.00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–† छापी नहीं गयी।

के लिये बढ़ा दिया है । 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में भूगोल के प्रश्नपत्र में भारत के नक्शे में गड़बड़ी के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने की साजिश कर रही है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह [x x x] सियाचिन को जिस तरीके से नक्शे से बाहर दिखाया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिये ।

देखिये, माननीय सदस्यों को मालूम है कि कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव को इस सदन ने पारित किया है सर्वसम्मति से । उसमें यह भी तय हुआ था कि आज नियम 311 की नोटिस नहीं ली जायेंगी, लेकिन आपने जो विषय उठाया है, 311 की सूचना को मैं निरस्त करता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मामला गम्भीर है, कृपया इसका संज्ञान ले लीजिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मुख्यमंत्री जी पर तो [x x x] चलना चाहिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक [xxx] चलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

फिर उसमें बहुत सी बातें हो जायेंगी । तमाम लोग जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, तमाम बातें हो जायेंगी, अब उसे छोड़िये ।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सरकार की इस [x x x] के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सरकार ने देश का इस तरह से अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करती है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री कौकब हमीद–

सरकार की इस [x x x] के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में जानबूझकर जो लापरवाही की है भारत के मानचित्र से एक महत्वपूर्ण भाग को हटाया है और सरकार अपनी गल्ती नहीं कबूल कर रही है इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री रामजग–

मान्यवर, सरकार की इस [x x] के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री रामजग अषने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, चूंकि कार्यवाही में ऐसी बात आयी है, देशद्रोह का मुकदमा वास्तव में चले उस पार्टी पर जिसने भारतमाता को विभाजित किया था । जिस दल ने, जिन नेताओं ने एकता अखण्डता को खण्डित किया था । उनसे बड़ा देशद्रोह कोई और नहीं हो सकता । देश की जनता ने आपको दोषी माना है आपके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिये ।

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये, यह प्रकरण समाप्त हो गया है । मद संख्या–25 तक औपचारिक कार्य और विधायी कार्य हैं मेरा अनुरोध है कि उतना हो जाने दीजिये ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह लोग चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बिन्दु लाल जी आप अपनी याचिका प्रस्तुत कर दीजिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में महिला चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में श्री राम कृपाल शुक्ल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तुलसीपुर, जनपद–बलरामपुर में महिला चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में श्री राम कृपाल शुक्ल, निवासी जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा स्थित दुबहां बाजार से कटुवा नाला चौराहे तक के मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाये जाने के संबंध में श्री अमरेश बहादुर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

*श्री बावन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा स्थित दुबहा बाजार से (वाया नारायनपुर) कटुवा नाला चौराहे तक के मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाये जाने के संबंध में श्री अमरेश बहादुर सिंह, निवासी जनपद–गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कौड़िया बाजार से अशोकपुर मार्ग तक के अवशेष भाग को लेपन स्तर तक बनवाये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बावन सिंह–

जनपद गोण्डा के कौड़िया बाजार से अशोकपुर मार्ग तक के अवशेष भाग का लेपन स्तर तक बनवाये जाने के संबंध में श्री भवानी भीख निवासी जनपद–गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बाराबंकी की तहसील–रामनगर के ग्राम धौखरिया में निर्मित ड्रेन (बरसाती नाला) के ऊपर पुलिया बनवाये जाने के संबंध में श्री अनिल कुमार द्वारा हस्तक्षरित याचिका †

श्री बावन सिंह–

जनपद बाराबंकी की तहसील–रामनगर के ग्राम धौखरिया में पाठक तथा अन्य ड्रेन (बरसाती नाला) के ऊपर पुलिया बनवाये जाने के संबंध में श्री अनिल कुमार पाठक तथा अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा की तहसील कर्नलगंज स्थित कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध श्री राम बिलास यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बावन सिंह–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज स्थित कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध श्री राम बिलास यादव, निवासी जनपद–गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–† छापी नहीं गयी।

जनपद गोण्डा के ग्राम सभा कटुआ नाला में एक पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में श्री राम बिलास यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

श्री बावन सिंह–

जनपद गोण्डा के ग्राम सभा कटुआ नाला में एक पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में श्री राम बिलास यादव, निवासी–जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटुआ नाला विकास खण्ड कटरा बाजार में महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री राम बिलास द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बावन सिंह–

कटुआ नाला विकास खण्ड कटरा बाजार में महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री राम बिलारा निवासी–जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के ग्राम परियावां तहसील तरबगंज पकड़ी बन्धा मार्ग तथा बन्धा से रांगी तुलसीपुर मार्ग पक्का कराये जाने के संबंध में श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बावन सिंह–

जनपद गोण्डा के ग्राम परियावां तहसील तरबगंज स्थित पकड़ी बन्धा मार्ग तथा बन्धा से रांगी तुलसीपुर मार्ग पक्का कराये जाने के संबंध में श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव के ब्लाक बीघापुर ग्राम मीरमऊ में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार लोधी तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

*श्री कृपा शंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ग्राम मीरमऊ ब्लाक बीघापुर, जनपद उन्नाव में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री विनोद कुमार लोधी तथा अन्य निवासीगण–जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की बन्द नेकपुर चीनी मिल को ग्राम सैदपुर कुर्मियाना (बरेली) में प्रति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री छोटे लाल गंगवार, मास्टर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 1–जनपद बरेली की बन्द नेकपुर चीनी मिल को ग्राम सैदपुर कुर्मियाना (बरेली) में प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में श्री राधेश्याम तथा अन्य निवासीगण–जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : † छापी नहीं गयी।

जनपद बरेली नगर पंचायत सैंथल में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाम हैदर जैदी तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री छोटे लाल गंगवार, मास्टर–

जनपद बरेली नगर पंचायत सैंथल में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री गुलाम हैदर जैदी तथा अन्य निवासीगण–जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं ।

(श्री नन्द राम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री नन्द राम जी अनुपस्थित हैं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नांकित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है :–

1–श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 14 जुलाई, 1997

2–श्री शिव शंकर, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 24 जुलाई, 1997

3–श्री अमरमणि, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 6 अगस्त, 1997

4–दैनिक समाचार-पत्र "दि पायनियर" के सम्पादक तथा लेखक श्री के० के० जोशी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर सचिव, विधान सभा का प्रतिवेदन दिनांक 9 दिसम्बर, 1997

5–श्री भोनूराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 25 जून, 1998

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें अग्राह्य कर दी हैं ।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे ।

(निम्नलिखित निर्णय आज की कार्यवाही के अंग माने गये)

श्री राधेश्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री एल० एन० चौधरी, जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री राधेश्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री एल० एन० चौधरी, जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना, दिनांक 14 जुलाई, 1997 को दी है । माननीय सदस्य का कथन है कि वे अपने विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करने दिनांक 3-7-97 को जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर के कार्यालय में गये तो उक्त अधिकारी द्वारा माननीय सदस्य के साथ प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया । उन्होंने माननीय सदस्य

नोटः–† छापी नहीं गयी ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के साथ अमर्यादित तथा अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया । इसके उपरान्त दिनांक 3 जुलाई, 1997 की रात्रि 10.00 बजे पूरे जनपद के थानाध्यक्ष द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा उनकी जमानत दूसरे दिन न्यायालय से हुई । उक्त के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का कथन है कि जिला विकास अधिकारी ने उन्हें फर्जी मुकदमें में फंसाया है । प्रश्नगत् प्रकरण को माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किये जाने तथा उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री एल० एन० चौधरी, जिला विकास अधिकारी कुशीनगर का अभिकथन प्राप्त किया गया । उन्होंने अवगत कराया है कि दिनांक 3 जुलाई, 1997 को अपराह्न 1.00 बजे श्री राधेश्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा अपने कुछ सहयोगियों के साथ उनसे मिलने आये थे । उनसे मिलने से दो दिन पूर्व उन्होंने टेलीफोन पर उनके साथ असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें धमकी दी कि यदि तुम मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर दूंगा । श्री चौधरी का यह भी कथन है कि माननीय सदस्य अपने एक निकट संबंधी श्री शशिकान्त सिंह की जीप चालक की अवैध नियुक्ति को नियमित किये जाने पर लगातार उन पर दबाव दे रहे थे । श्री चौधरी का यह भी कहना है कि माननीय सदस्य उनसे क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी हेतु नहीं आये थे बल्कि वे अपने उक्त निकट संबंधी की नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में उनसे मिलने आये थे । अन्त में श्री चौधरी का यह भी कथन है कि उन्होंने सदैव प्रोटोकाल का पालन किया है जिसके लिये जिले के अन्य माननीय विधायकों/सांसद को उनसे इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं रही है । श्री चौधरी द्वारा माननीय सदस्य के साथ प्रोटोकाल का पालन न किये जाने तथा अपमानजनक शब्दों के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा की गयी जांच आख्या में उक्त अधिकारी द्वारा माननीय सदस्य के साथ अमर्यादित तथा अपमानजनक व्यवहार किये जाने के तथ्यों की पुष्टि विवेचना में नहीं हुई है । माननीय सदस्य की सूचना तथा जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर के अभिकथन के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य द्वारा उक्त विकास अधिकारी से मिलने जाने का उद्देश्य सदन अथवा सदन की किसी समिति के कृत्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अतः वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत् प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं माननीय सदस्य की उपर्युक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री शिवशंकर, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कैलाश चन्द्र कोतवाल बबेरू कोतवाली जनपद बांदा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री शिवशंकर, सदस्य, विधान सभा ने श्री कैलाश चन्द्र, कोतवाल बबेरू कोतवाली, जनपद बांदा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 24 जुलाई, 1997 को दी है । मा० सदस्य का कथन है कि दिनांक 15 जुलाई, 1997 को दोपहर 12.00 बजे जब वे क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण हेतु श्री कैलाश चन्द्र, कोतवाल, कोतवाली, बबेरू, बांदा से मिलने गये तो उक्त पुलिस अधिकारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा पुलिस बल बुलाकर उनके कार्यकर्ताओं को कोतवाली परिसर से बाहर खदेड़ दिया । उक्त घटना के सम्बन्ध मे उन्होंने उच्चाधिकारियों को भी सूचित किया परन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । प्रश्नगत् प्रकरण के सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री को मा० सदस्य के पत्र की प्रति भेजकर उक्त मामले में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्नगत् प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बांदा के माध्यम से अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के सम्बन्ध में मा० संसदीय कार्य-मंत्री ने अवगत कराया है कि श्री कैलाश चन्द्र, निरीक्षक, ना०पु० ने माननीय सदस्य एवं उनके कार्यकर्ताओं के साथ उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया । उक्त जांच में दोषी पाये जाने पर श्री कैलाश चन्द्र, निरीक्षक ना०पु० को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 4 (1) ख के उपखण्ड (4) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 1997 द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दंडित किया गया है ।

माननीय सदस्य श्री शिवशंकर की सूचना एवं उस पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में मा० संसदीय कार्य-मंत्री, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 06 जुलाई, 1998 के अवलोकन से वर्णित स्थिति में प्रश्नगत् प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न प्राग्दर्शन में अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं मा० सदस्य की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री अमरमणि, सदस्य, विधान सभा की श्री चन्द्र नाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन में उन्हें तथा श्री जगदम्बिका पाल को ''समय माफिया'' कहे जाने विषयक, विशेषाधिकार हनन विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[माननीय सदस्य श्री अमर मणि ने श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1997 को सदन में उन्हें तथा श्री जगदम्बिका पाल को ''समय माफिया'' कहने पर ''उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958'' के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना, दिनांक 6 अगस्त, 1997 को अभिसूचित की है । मा० सदस्य का कथन है कि ''माफिया'' शब्द अत्यन्त ही अपमानजनक है क्यों कि इस शब्द का भावार्थ ऐसे व्यक्ति से होता है, जो घृणित अपराध करते हैं । अपराध के पीछे आर्थिक कारण होता है । मा० सदस्य का यह भी कथन है कि ऐसे शब्द का प्रयोग करते समय श्री चन्द्र नाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उनके तथा श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा के नाम का उल्लेख किया है जो अत्यन्त ही खेदजनक है ।

उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा० सदस्य ने जिन शब्दों को विशेषाधिकार हनन की सूचना का आधार बनाया है उनका प्रयोग दिनांक 4-8-97 को श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन में किया गया था । ऐसी परिस्थिति में मा० सदस्य श्री अमरमणि त्रिपाठी को उसी समय सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाना चाहिए था परन्तु मा० सदस्य ने ऐसा न करके दो दिन पश्चात् अर्थात् दिनांक 6-8-97 को प्रश्नगत सूचना अभिसूचित की है । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को संकलन 1952 से 1967 तक के पृष्ठ 511 तथा 512 में यह व्यवस्था दी गयी है कि भाषणों में आक्षेपाई अंश होने पर बाद में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना अनुचित है तत्काल उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करके आवश्यक कार्यवाही करायी जा सकती है । यद्यपि मा० सदस्य की सूचना निलम्बित प्रतीत होती है फिर भी अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों में यह भी दृष्टान्त उपलब्ध है कि जिन सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी जाय उसको जब तक उस सूचना की प्रति न मिल जाय तब तक उस पर निर्णय नहीं होगा ।

खण्ड–297 पृष्ठ 407 से 410

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मा० सदस्य श्री चन्द्रनाथ सिंह को विशेषाधिकार हनन की सूचना की द्वितीय प्रति भेजकर उनका अभिकथन प्राप्त किया गया । प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री चन्द्र नाथ सिंह ने अवगत कराया है कि उन्होंने औचित्य के प्रश्न पर नये मा० सदस्यों को सदन में बोलने का अवसर प्रदान किये जाने के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रश्नगत विषय दिनांक 4-8-97 को सदन

में उठाया था । मा० सदस्य का कथन है कि कुछ वरिष्ठ सदस्य ही सदन में प्रत्येक विषय पर बोलने हेतु खड़े हो जाते हैं । अतः उन्होंने उक्त सन्दर्भ में ''भाषण माफिया'' शब्द का प्रयोग किया था । इस सम्बन्ध में उनका यह भी कथन है कि उक्त शब्द का आशय अपराधियों से नहीं होता है । उनका आशय मात्र जबरदस्ती बोलने वाले मा० सदस्यों के सम्बन्ध में था । चूंकि मा० सदस्य श्री अमरमणि त्रिपाठी व श्री जगदम्बिका पाल उस समय जब बोलने के लिये खड़े हुए तो उक्त मा० सदस्यों के नाम का उल्लेख उनके द्वारा हो गया । मा० सदस्य का यह भी कथन है कि ''भाषण माफिया'' शब्द का प्रयोग उन्होंने मा० सदस्य को अपराधी बनाने व अपमानित किये जाने के संबंध में नहीं किया था । अन्त में मा० सदस्य ने उपर्युक्त शब्द के सन्दर्भ में इस बात का उल्लेख किया है कि उक्त शब्द अपमानजनक नहीं है फिर भी यदि उक्त शब्द मा० सदस्य को अपमानजनक प्रतीत होता है तो उसके सम्बन्ध में खेद व्यक्त करते हुए उसे वापस लिये जाने हेतु उन्होंने अनुरोध किया है ।

अतः वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं मा० सदस्य की उपरोक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

लखनऊ से प्रकाशित ''द पायनियर'' दैनिक समाचार पत्र में ''पार्टीजन स्पीकर'' शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादक एवं लेखक द्वारा प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दावली के प्रकाशन पर श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय सेवानिवृत्त आई० ए० एस० लखनऊ द्वारा विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[लखनऊ से प्रकाशित ''द पायनियर'' दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 10 नवम्बर, 1997 के अंक में ''सम्पादक के नाम पत्र'' स्तम्भ के अन्तर्गत ''पार्टीजन स्पीकर'' शीर्षक के अन्तर्गत श्री के० के० जोशी का एक आपत्तिजनक पत्र प्रकाशित हुआ था । उक्त पत्र में प्रयुक्त शब्दावली अत्यन्त अनुचित एवं अमर्यादित रूप में प्रयोग की गयी है । इस सम्बन्ध में श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, सेवानिवृत्त आई०ए०एस० अधिकारी महानगर, लखनऊ द्वारा इस पर आपत्ति जताते हुये उक्त तथ्य अध्यक्ष विधान सभा के संज्ञान में लाये गये । विधान सभा सचिवालय द्वारा उक्त आपत्तिजनक पत्र के प्रकाशन के सम्बन्ध में उक्त समाचार-पत्र के सम्पादक श्री उदय सिन्हा व उक्त पत्र के लेखक श्री के०के० जोशी का अभिकथन मांगा गया था ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में श्री के०के० जोशी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ''द पायनियर'' समाचार पत्र में प्रकाशित ''पार्टीजन स्पीकर'' के अन्तर्गत प्रकाशित पत्र न तो उनकी खोज थी, न ही वह उनका निष्कर्ष था । उन दिनों समाचार-पत्र, पत्रिकाओं में यह आम चर्चा थी तथा माननीय सदस्यों व भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा यह बात बार-बार दोहरायी जा रही थी जिससे उन्हें लगा इन तर्क वितर्कों में वजन है । अतः इस विषय पर सम्पादक के नाम पत्र लिखना उन्होंने अनुचित नहीं समझा । दल-बदल विरोधी विधि का मजाक बनाने के सम्बन्ध में उनका कहना है कि यह भी उनके दिमाग की उपज नहीं थी और आजकल सभी राजनैतिक दल एवं आम जनता भी यही महसूस कर रही है जिसके कारण इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है । श्री के०के० जोशी का यह भी कथन है कि माननीय अध्यक्ष की अवमानना के बारे में तो वे कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं । यदि उनकी नादानी और विशेषाधिकार के बारे में अनभिज्ञता की वजह से यदि यह अर्थ निकलता है तो वह इसके लिये क्षमा प्रार्थी हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि वे माननीय अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त करना चाहते हैं कि

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भविष्य में सदन की गरिमा तथा उनके विशेषाधिकार का ध्यान रखेंगे और सम्मान करेंगे । श्री जोशी का यह भी कहना है कि वे 75 वर्षीय अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारी हैं और उन्होंने अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाया है । यह पहला अवसर है कि वे अपनी नासमझी और अज्ञानता के कारण ऐसी गलती कर बैठे हैं जिसका उन्हें अत्यन्त खेद है । अन्त में उन्होंने यह प्रार्थना की है कि इस सम्बन्ध में वे क्षमा याची हैं और सदन के विशेषाधिकार के प्रति पूर्ण सम्मान का आश्वासन देते हुए उन्होंने माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया है कि इस प्रकरण को कृपा करके यहीं समाप्त किया जाय ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उक्त समाचार-पत्र के स्थानीय सम्पादक श्री उदय सिन्हा का भी उत्तर प्राप्त हुआ है । उनका कथन है कि सम्पादक के नाम प्रेषित पत्रों में व्यक्त किये गये विचार दैनिक समाचार-पत्र के विचार नहीं होते हैं फिर भी उन्होंने उक्त लेख के प्रकाशन के सम्बन्ध में खेद व्यक्त किया है । दोषारोपित व्यक्ति द्वारा खेद व्यक्त करने पर सदन द्वारा लोक सभा तथा अनेक विधान सभाओं में ऐसे प्रकरणों को सदन की गरिमा के अनुकूल समाप्त किया जाता रहा है ।

उक्त समाचार-पत्र के स्थानीय सम्पादक श्री उदय सिन्हा तथा उक्त पत्र के लेखक श्री के०के० जोशी द्वारा उपर्युक्त प्रकाशन के सम्बन्ध में बिना शर्त खेद प्रकट किया गया है । अतएव उक्त समाचार-पत्र के सम्पादक श्री उदय सिन्हा तथा उक्त पत्र के लेखक श्री के०के० जोशी द्वारा खेद प्रकाश को दृष्टिगत रखते हुये मैं विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के रूप में इस प्रकरण को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री भोनू राम सोनकर, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राजन शुक्ला, जिलाधिकारी गाजीपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री भोनू राम सोनकर, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री राजन शुक्ला, जिलाधिकारी, गाजीपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 23 जून, 1998 को दी है । मा० सदस्य की शिकायत है कि वे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से उनके आवास पर वार्ता करने गये थे । मा० सदस्य ने उनसे स्थल निरीक्षण करके कार्यवाही किये जाने हेतु कहा जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि "क्या मैं आपका नौकर हूं जो आपके कहने पर जांच करने चला जाऊं ।" मा० सदस्य ने जिलाधिकारी से यह भी कहा कि "आप जिले के प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष अधिकारी हैं मैं एक विधायक हूं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अनियमितताओं की बात आपके संज्ञान में ला रहा हूं । जिले के प्रमुख लोक सेवक होने के नाते इन मामलों को देखना आपका कर्तव्य है । " इस पर जिलाधिकारी ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा । बाहर न जाने पर वह अन्दर अपने कमरे में जाकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे । मा० सदस्य का कथन है कि जिलाधिकारी के उक्त व्यवहार से सम्मानित सदन एवं मा० सदस्य का घोर अपमान हुआ है साथ ही विशेषाधिकार का हनन भी हुआ है । अतः मा० सदस्य ने जिलाधिकारी, गाजीपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना का मामला स्वीकृत करके प्रश्नगत प्रकरण विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किये जाने का अनुरोध किया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री राजन शुक्ला, जिलाधिकारी, गाजीपुर का अभिकथन प्राप्त किया गया । उन्होंने अवगत कराया है कि दिनांक 10 जून, 1998 को करीब 4 बजे श्री भोनू राम सोनकर, सदस्य विधान सभा उनके आवासीय कार्यालय में उनसे भेंट किये । भेंट के दौरान उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नहीं थे । मा० सदस्य के साथ अकेले में उनके कक्ष में भेंट हुई । जिलाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि मा० सदस्य का यह कथन सही नहीं है कि उन्होंने विकास सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में उनसे वार्ता की थी । जिलाधिकारी ने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि वस्तुतः उनकी मा० सदस्य से संक्षिप्त भेंट के दौरान मा० विधायक ने अपने रिवाल्वर का लाइसेन्स की तत्काल स्वीकृत किये जाने की चर्चा की थी । जिलाधिकारी ने उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली मंगवाने के उपरान्त ही कोई निर्णय लिये जाने का उल्लेख किया है । इस पर मा० विधायक ने किन्चित उत्तेजित मुद्रा में उनसे कहा कि उक्त लाइसेन्स तत्काल स्वीकृत करना होगा वरना वह उन्हें देख लेंगे । इसके पश्चात् वे उनके कक्ष से बाहर चले गये । जिलाधिकारी का यह भी कथन है कि वह भारतीय संविधान के अन्तर्गत कार्य करते हुए सभी संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का पूर्णतया पालन करते हैं । कर्तव्यबोध के साथ-साथ कार्य करते हुए असंसदीय भाषा अथवा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग अथवा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने की बात उनके लिए कल्पनातीत है ।

मा० सदस्य की सूचना एवं जिलाधिकारी से प्राप्त अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मा० सदस्य श्री भोनू राम सोनकर जिलाधिकारी गाजीपुर से मिलने अपने निजी कार्य से गये थे जिसका सम्बन्ध विधान सभा अथवा उसके किसी समिति के कृत्यों से नहीं है । अतः वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं मा० सदस्य की उपरोक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं । ।

मा० अध्यक्ष द्वारा जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की निम्नलिखित सूचनाओं पर विचारोपरान्त मैंने उन्हें जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिस्ट कर दिया है :–

1—श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हबीब खान, जिला प्रबन्धक, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम व श्री अविनाश कुमार, अनुभाग अधिकारी खाद्य एवं रसद अनुभाग–8 के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 31 जुलाई, 1997

2—श्री बाल चन्द्र मिश्र व डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार-पत्र के सम्पादक के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना क्रमशः दिनांक 25 मार्च, 1998 तथा दिनांक 23 अप्रैल, 1998

3—श्री मुराद लारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री खुर्शीद अली खां, श्री मकबूल अहमद तथा श्री शमीमूलहई, जनपद देवरिया के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर से प्रश्न पूछे जाने के कारण अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना, दिनांक 21 जुलाई, 1998

4—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "दि स्टेटस मैन" समाचार-पत्र के सम्पादक श्री सी० आर० ईरानी और लेखक श्री ए० जी० नूरानी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 26 मार्च, 1998

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 में संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश नियन्त्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिए अनाथालय एवं अन्य आश्रम (पर्यवेक्षण और नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के अध्याय–2 की धारा 5(2) (ए) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के अध्याय–2 की धारा 5(2) (ए) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999†

संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999

*आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 धारा 12(1) के उपबन्ध में जहां 5 रुपये प्रति लीटर अंकित है, को बढ़ाकर 15 रु० किये जाने का छोटा सा प्रस्ताव है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। प्रमोद कुमार जी को बिल्कुल नहीं होगी, इसलिये इसे पारित करने पर विचार किया जाय।

नोट– † दिनांक 3-4-99 के गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

आपकी अनुज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को लाकर 5 की जगह 15 रुपये कर दिया है। यह ठीक है, लेकिन हमारी तो राय यह है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्राविधान है कि मद्यनिषेध किया जाय तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 15 रुपये के बजाय 30 रुपये कर देना चाहिये, पीने वाले लोग तो पियेंगे ही, लेकिन न पीने वालों को निरुत्साहित किया जाय, इससे शराब मंहगी हो जायेगी और तब दोहरा लाभ होगा, सरकार की आय बढ़ेगी क्योंकि राजस्व की कमी को देखते हुये, उसमें बढ़ोत्तरी के लिये ही यह विधेयक लाये हैं। वहीं पर मेरा कहना है कि जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका पालन होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे वहां पर सारी चीजों पर विचार हो जाय।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शाक्य जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया कि शराब बनाना रोका जाय। शराब के कारण गरीब लोगों के सामने बड़ी परेशानियां आ रही हैं। आपने जो शुल्क 15 रुपये कर दिया है उसके बजाय आप उसको 30–40 रुपये करते तो ठीक था। कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर शराब बन्दी होनी चाहिए। अगर आपको आमदनी बढ़ानी है तो आप इसे प्रवर समिति में भेज दें और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आ जाय और तब माननीय मंत्री जी इस विधेयक को संज्ञान में लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, बहुत सालों के बाद इस शुल्क में परिवर्तन करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है और इसमें माननीय सदस्य श्री राम औतार शाक्य की भावनायें सन्निहित हैं क्योंकि हमने पांच रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया है यानी तिगुना बढ़ा दिया है। सरकार मद्यनिषेध की ओर भी प्रयत्नशील है लेकिन आज की जो आवश्यकता है उसके अनुसार यह विधेयक लाया गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको पास कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मा० शाक्य जी क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं या बल दे रहे हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

अगर माननीय मंत्री जी 15 रुपये से बढ़ाकर इसको दुगना कर दें तो मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले सकता हूं अन्यथा बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह पहली अप्रैल 1999 को प्रवृत्त होगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ए), (सी), (डी) और (ई) में, सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आये हुए शब्द और अंक "पांच रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ).

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व-भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क–पार्श्व–भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्ताव कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व–भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। मान्यवर, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और आप भिज्ञ होंगे और सारा सदन इससे भिज्ञ होगा कि आम रास्ते और जो सड़कें हैं उस पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश से बड़ा देश होता है और धर्म से बड़ा देश व प्रदेश होता है। बहुत सी लाल नीली प्रतिमायें लगती हैं, मैं किसी धर्म पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं सड़क पर चाहे कोई मन्दिर बनाये, मस्जिद बनाये, गुरुद्वारा बनाये यह सब आखिरकार अतिक्रमण ही होता है। मान्यवर, धर्म के आधार पर अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये। और ना ही धर्म के आधार पर अतिक्रमण का कोई प्राविधान है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो कि इसका विश्लेषण करे और सदन में अपनी आख्या प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष–

कोई और माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय श्री शाक्य जी ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं वास्तव में वह चिन्ता की बात थी और हमने उसके आधार पर संशोधन कर दिया है। धर्म के आधार पर सड़क पर अवैध निर्माण न हो, और जो हो चुके हैं उनका विस्तारीकरण न हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी क्या आप संशोधन प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जो धार्मिक स्थल सड़क पर बने हुये हैं उन्हें हटाया जाये, यह सब अतिक्रमण के अन्तर्गत ही आता है। मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–8 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999

संयुक्त प्रान्त सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1945 की धारा 5 का प्रतिस्थापन

2—संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"5–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी,—

किसी नियंत्रित क्षेत्र में भवन आदि पर निर्बन्धन

(क) कोई भी व्यक्ति किसी नियंत्रित क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या कोई उत्खनन या उसका विस्तार नहीं करेगा, और

(ख) कोई भी व्यक्ति कलक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय किसी नियंत्रित क्षेत्र में, सड़क तक पहुंचने के लिये किसी साधन का अभिन्यास नहीं करेगा ।"

धारा 6 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा–6 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "भवन, उत्खनन या" निकाल दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (4) और (5) निकाल दी जायेगी ;

(ग) उपधारा (6) में शब्द "कलक्टर द्वारा कोई लिखित आदेश न दिया गया हो", के पश्चात शब्द "आवेदक कलक्टर को लिखित नोटिस दे सकता है और यदि ऐसी नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कोई आदेश न दिया जाय" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थातः–

"(1) उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी क्षति, नुकसान या हानि के लिये जो–

(क) धारा 5 के खण्ड (क) द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन के परिणामस्वरूप, या

(ख) किसी सड़क तक पहुंचने के लिये किसी साधन का अभिन्यास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले या ऐसी अनुज्ञा अनुदत्त कर देने किन्तु उसके साथ शर्तें अधिरोपित करने वाले किसी आदेश द्वारा,

हुई हो या हुई अभिकथित हो, इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) कोई व्यक्ति–

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले मे, नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष के भीतर,

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 7 के अधीन राज्य सरकार के आदेश के दिनांक से, जहां किसी सड़क तक पहुंचने के लिये किसी साधन का अभिन्यास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने का आदेश दिया गया हो और धारा 7 के अधीन अपील के अधिकार का प्रयोग किया गया हो, तीन मास के भीतर,

राज्य सरकार को इस आधार पर प्रतिकर का दावा प्रस्तुत कर सकता है कि संबंधित भूमि में उसके हित पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ा है ।"

धारा 10 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "किसी भूमि पर भवन के परिनिर्माण अथवा पुनः परिनिर्माण" के स्थान पर शब्द "भूमि या धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन अधिरोपित किये गये निर्बन्धनों के संबंध में किसी सड़क तक पहुंचने के लिये किसी साधन के अभिन्यास" रख दिये जायेगे और शब्द "वह क्षेत्र जिसमें उक्त भूमि स्थित हो" के स्थान पर शब्द "संबंधित क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।"

(ख) खण्ड (1) में, "भूमि के विकास की वे प्रस्थापनायें जो धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के दिनांक को तुरन्त व्यवहार्य हैं या उस दशा में तुरन्त व्यवहार्य होती जब यह अधिनियम पारित न किया गया होता, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों से निवारित हुई है या क्षतिकारक रूप से प्रभावित हुई है" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों से संबंधित भूमि में उसका हित क्षतिकारक रूप से प्रभावित हुआ है" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) में–

(क) शब्द "वह जुर्माने से जो पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "वह जुर्माने से जो, प्रथम दोषसिद्धि पर, पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "पचास रुपये तक" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" जो अधिकतम "पचास हजार रुपये तक" रख दिये जायेंगे ।

अनुसूची का संशोधन

7—मूल अधिनियम की अनुसूची में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर जिसे अनुसूची के पैरा 3 के उप पैरा (2) द्वारा परिष्कृत किये जाने की आवश्यकता पड़ी निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

(ग) संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 की धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी परिनिर्माण, पुनः परिनिर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हुई वृद्धि का ध्यान नहीं रखा जायगा ।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

8—(1) कोई आवेदन-पत्र की जो मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन दिया गया हो और कोई अपील की जो मूल अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रस्तुत की गई हो, जैसी ये धारायें इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो, सुनवाई और विनिश्चय उसी प्रकार किया जायेगा मानो यह अधिनियम कभी अधिनियमित ही न किया गया हो ।

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 या 7 के अधीन, जैसी ये धारायें इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त कोई अनुज्ञा और उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुदत्त कोई अनुज्ञा उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होंगी मानो यह अधिनियम कभी अधिनियमित ही न किया गया हो ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–8 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिए अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन हेतु मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं–

"उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधान सभा के दिनांक एक अप्रैल, 1999 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधान सभा के दिनांक एक अप्रैल, 1999 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की घोषणा निर्धारित समय के भीतर सदन में न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि आपकी पीठ से निर्देश हुआ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए या तो कोई निधि बनायी जायेगी अथवा किसी पैकेज की घोषणा की जायेगी और वह 23 तारीख तक घोषणा कर दी जायेगी लेकिन जब निधि के सम्बन्ध में 23 तारीख तक कोई घोषणा नहीं हुई तो मैंने 24 तारीख को आपसे गुजारिश की थी और फिर आपका निर्देश हुआ था कि 30 तारीख को पैकेज या निधि के रूप में कोई स्वरूप में आ जायेगा, मान्यवर, आज एक तारीख है और सदन आज समाप्त हो जायेगा इसलिए निधि के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई आश्वासन दिलवा दें।

संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, यह बात सही है और मैं सहमत भी हूं। मैंने आश्वस्त किया था कि एक पैकेज ला रहे हैं। इस बीच मध्यांचल निधि की भी बात आयी, इसलिए मध्यांचल निधि के सम्बन्ध में परीक्षण करवा रहे हैं जिससे विलम्ब हुआ है। श्रीमन्, सारे पैकेज पर विचार चल रहा है और हम बताना चाहेंगे कि इसमें शीघ्रातिशीघ्र विचार कर लिया जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मंत्री जी मध्यांचल उत्तर प्रदेश की बात कह रहे हैं तो जरूर करें लेकिन जो निर्देश पश्चिमी उत्तर प्रदेश निधि के सम्बन्ध में हो चुका है उसमें मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न था, व्यवस्था दे देने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसी सत्र के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक पैकेज देने जा रहे हैं । आपने आश्वासन दिया था कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक पैकेज देंगे । मान्यवर, 24 तारीख को सत्र समाप्त होने वाला था, मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, आपके संज्ञान में यह बात लाया था तो संसदीय कार्य मंत्री ने 24 तारीख को यह बात दोहराई थी कि हम पहली तारीख तक यह पैकेज अश्वय ले आयेंगे और अब सरकार इधर-उधर की बातें करके इसे खटाई में डालने की बात कर रही है । मान्यवर, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विरोधी सरकार है और पैकेज के संम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं करना चाहती है । इसलिए मान्यवर, आप पैकेज की घोषणा करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पश्चिमांचल और मध्यांचल की बात साथ-साथ आ गयी है तो पश्चिमांचल की बात आयी है तो यह उत्तर प्रदेश के विकास का सवाल है .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौकब हमीद जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । यह बात सही है कि 24 तारीख को यह अपेक्षा की गयी थी कि 30 तारीख तक पैकेज की सूचना दे दी जाये, घोषणा कर दी जाये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ कठिनाई बतायी थी । इसके बाद हम सभी अपेक्षा करेंगे कि जब यह सत्र समाप्त होगा, तब पैकेज की घोषणा हो जायेगी । इस बीच संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी है कि मध्यांचल के विकास के लिए भी एक पैकेज का प्रस्ताव आ गया है । अब उस पर भी विचार करेंगे और एक समेकित और कोई पैकेज बनायेंगे । समय तो जरूर लग रहा है, आप इस पर विचार कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है ।

(श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री बाबू लाल तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, डा० धर्मज्ञ मिश्र वेल में आ गये और जोर-जोर से बोलने लगे ।)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि की भांति मध्यांचल विकास निधि के पैकेज बने, जो भी निर्णय हो वह सब के लिए होना बराबर चाहिए । मध्यांचल विकास निधि न बनने से 35 जिले विकास से प्रभावित हो रहे हैं और ज्यादातर जिले में बाढ़ भी आती है, सारा विकास कार्य रुका हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, मध्यांचल के लिए भी साथ-साथ पैकेज बनाना चाहिए । मध्यांचल में 35 जिले आते हैं । यहां का विकास नहीं के बराबर हुआ है । आप स्वयं देखें 35 जिलों के उत्थान हेतु मध्यांचल विकास निधि की स्थापना करें ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर आप चलें तो जरा शोभनीय लगेगा ।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने आसन पर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, अन्दाजन इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पश्चिमांचल के विकास की बात आयी और मध्यांचल के विकास के लिए भी बात आ गयी तो जिस कमेटी की बात आप कह रहे हैं उसको यह दायित्व दिया गया है कि दोनों ही बिन्दुओं पर विचार कर लें । बहुत शीघ्र हो जायेगा ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, सरकार ने बताया था कि पश्चिमांचल के विकास के लिए एक पैकेज तैयार हो रहा है और मंत्रि-मण्डल की एक कमेटी बनायी गयी है । संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि बहुत शीघ्र पैकेज देने वाले हैं । तो जो चीज तैयार हो चुकी है और जिस पर मंत्रिगण और अधिकारीगण बैठक करके तय कर चुके हैं उसकी घोषणा सदन में कर दें मध्यांचल को जो देना है वह दें ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है । बुन्देलखण्ड विकास निधि का गठन हो चुका है । पूर्वांचल विकास निधि का गठन हो चुका है । उत्तरांचल के लिए अलग से बजट का प्राविधान हो चुका है । यह मांग उठी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई पैकेज आना चाहिए । अब जब बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि का गठन हो चुका है और उत्तरांचल के लिए अलग से बजट बन गया है तो फिर पश्चिमांचल के लिए अलग से पैकेज देने का जहां तक प्रश्न है बीच का एक हिस्सा मध्यांचल रह जाता है, हमने विचार किया कि एक सांगोपांग, पूरे प्रदेश के क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए, ताकि कोई हिस्सा हमसे छूटने न पाये, इसी नाते से हमने पश्चिमांचल के साथ-साथ मध्यांचल के विकास के लिए विचार किया । पश्चिमांचल के विकास के लिए जो कुछ यहां पर सदन में सरकार की ओर से कहा गया है, हम उससे मुकर नहीं रहे हैं बल्कि हम एक चीज और अधिक जोड़कर मध्यांचल को साथ ही साथ लेना चाहते हैं और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायेगा । लगभग सारी चीजें बनकर तैयार हो गयी हैं केवल अन्तिम स्वरूप देना बाकी है इसलिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है आप विश्वास रखिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों को बुलाकर वहां के पिछड़ेपन पर विचार किया था क्या उसी तरह से मध्य उत्तर प्रदेश के जनपद के माननीय सदस्यों को बुलाकर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, सभी समस्यायें लगभग संज्ञान में हैं अगर यह चाहते हैं कि दो-चार महीने का विलम्ब हो तो बात अलग है वरना हमें काम करने दीजिये ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, हमारा पैकेज तैयार है औरों के लिए हो सकता है कि मीटिंग बुलानी पड़े । आप यह बता दें कि कितने टाइम में इसे करा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है उसमें तारीख लगाने की बात नहीं है बहुत जल्दी आने वाला है ।

परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा दिये गये त्याग-पत्र एवं लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से वक्तव्य दिलाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान ।)

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल इसी आदरणीय सदन में और उत्तर प्रदेश के मौजूदा सरकार के मंत्रि-परिषद् के एक राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया और आपके इस पीठ के सामने इस आदरणीय सदन के सामने माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया । यह परम्परा रही है कि जब भी कोई सदस्य मंत्रि-परिषद् से इस्तीफा देता है तो उसका बयान आता है और अगर उसने कोई चार्ज लगाया है तो सरकार की तरफ से उसके बारे में स्पष्टीकरण आता है । माननीय मुख्य मंत्री जी पर एक गम्भीर आरोप लगाया गया है । मुख्य मंत्री जी आज बैठे हैं, सामूहिक जिम्मेदारी होती है । यूं तो प्रदेश की 16 करोड़ जनता इनके भ्रष्टाचार से तथा महंगाई से त्रस्त है ।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण दिला दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कल 11.00 बजे स्वतन्त्र प्रभार के मंत्री ने इस सदन में इस्तीफा दिया और गम्भीर आरोप मुख्य मंत्री जी पर लगाये ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कल देवेन्द्र सिंह ऊर्फ भोले सिंह जी ने इस सदन के समक्ष मंत्रि-परिषद् से अपना त्याग-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को सौंपा और उन्होंने कुछ आरोप भी लगाये । वह कल्याण सिंह जी की जानकारी में है । यह कहा गया कि मुख्य मंत्री [xxx] हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, लालफीताशाही के चंगुल में हैं व अन्य कई आरोप हैं । उन्होंने अपने पत्र में उसका उल्लेख किया है । मुख्य मंत्री जी से इस पर स्पष्टीकरण दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह मंत्रि-परिषद् का व मुख्य मंत्री जी का आन्तरिक मामला है । हम बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अध्यक्ष जी जो प्रकरण अभी नियम 300 और नियम 311 के अन्तर्गत माननीय पूर्व राज्य मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह के इस्तीफे के सम्बन्ध में दिया गया है उस सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि जो आरोप उन्होंने मुख्य मंत्री जी पर लगाये हैं उनका वह स्पष्टीकरण दें अगर स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि आरोप पूर्णतया सत्य हैं । अगर आरोप सत्य हैं तो फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए । उन्होंने अनाचार व भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये हैं । इसलिए मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देकर जनता के सामने चेहरा साफ होना चाहिए और सदन में भी चेहरा साफ होना चाहिए । अगर सफाई नहीं देते तो मौन स्वीकृति होती है । इसलिए मुख्य मंत्री जी सफाई दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह ने तीन महत्वपूर्ण आरोप लगाये हैं । [xxx] यह तीन महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने मुख्य मंत्री पर लगाये हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह बहुत ही गम्भीर मामला है ।

श्री राम तेज यादव "एडवोकेट"–

मान्यवर, इस प्रकरण पर समाजवादी पार्टी की ओर से सूचना दी गयी है ।

(व्यवधान जारी)

नोट :– [xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यसूची बहुत लम्बी है । आप किसी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री राम तेज यादव ''एडवोकेट''–

इस पर मुख्य मंत्री को जवाब देना चाहिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस पर मुख्य मंत्री जी की तरफ से जवाब आना चाहिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 1.45 तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(1 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी । 1 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है । 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है तिवारी जी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 को देखने की कृपा करें । मान्यवर, मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्य मंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे । इसके साथ-साथ शिड्यूल–3 देखने की कृपा करें । इसमें यह स्पष्ट है कि जो मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे उसके लिये शपथ का एक प्रारूप होता है । वह संविधान में है । इसको देखने की मान्यवर, कृपा करें ।

''मैं अमुक, ... विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं ..... राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा ।''

मान्यवर, मैंने शिड्यूल–3 में जो शपथ का प्रारूप मंत्रियों के लिये है वह आपको पढ़कर बता दिया । मान्यवर, कल 11.00 बजे एक मंत्री ने मुख्य मंत्री पर आरोप लगाते हुये अपना त्याग-पत्र दे दिया कि वे राग द्वेष के साथ काम कर रहे हैं । .....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर बोल रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं व्यवस्था आपकी चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

यह कैसा व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न है तो सदन की कार्यवाही के संबंध में होता ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं । आप मेरी .....

श्री अध्यक्ष–

मैंने समझा आप कुछ और कह रहे हैं इसलिये मैंने आपको अनुमति दी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने कोई बात आपकी अनुमति के बिना नहीं कही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन कैसे तय करेगा कि कोई व्यक्ति राग द्वेष से कार्य कर रहा है या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब मुख्य मंत्री जी पर एक मंत्री ने [× × ×]

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह कार्यवाही की हिस्सा नहीं बनना चाहिये । इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

किसी मंत्री ने क्या कह कर त्याग-पत्र दिया है यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप शिड्यूल 3 देखिये । मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस समय आरोप लगाया है उस समय वे मंत्री थे । अगर उन्होंने आरोप लगाया है और मुख्य मंत्री जी में [× × ×]

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

यह जो [× × ×] किया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नही है । तिवारी जी आपने अपनी बात कह ली मैंने सुन लिया है । व्यवस्था के नाम पर आप खड़े होकर कुछ भी बोलने लगे यह तो कोई बात नहीं हुई ।

मैं मद संख्या 26 ले रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर मुख्य मंत्री [× × ×]

नोट :– [x x x] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अवर सदन विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा । फेफड़े और गले की आवाज से सदन विनियमित करना हो तो अलग बात है । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

सुबाष जी कृपया व्यवधान न करें कुछ लिखा नहीं जा रहा है ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोल रहे थे)

श्री अध्यक्ष–

नियम और संविधान की बात करने के पहले जो व्यवस्था हो गई उसको भी तो देखिये ।

कितनी महत्वपूर्ण चर्चा लगी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

पीठ पर बैठिये फिर नियम और संविधान देखिये ।

मौर्य जी बैठ जायें कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से सदन में घोर-व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें । आप दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं । आज कई महत्वपूर्ण चर्चायें तथा वक्तव्य लगे हुये हैं । आप लोगों ने जो प्रकरण उठाया था उस पर सुन लिया गया है और मैंने उसमें अपनी व्यवस्था भी दे दी है । अब कृपया सदन को शांतिपूर्ण ढ़ंग से चलने दें । कहीं ऐसा न हो कि मुझे यह कहना पड़े कि समाचार-पत्रों में इसका प्रकाशन न किया जाय । पता नहीं आप लोग कौन सा संसदीय स्वरूप आप लोकतंत्र में प्रस्तुत करने जा रहे हैं । मैं आप लोगों की बातों का संज्ञान नहीं ले रहा हूं । आप लोग कृपया बैठ जायें । आप लोग अगर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं तो मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन के लिये प्रस्ताव लेकर आयें । आप दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं । सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों की चर्चायें तथा वक्तव्य लगे हैं । मैंने एक व्यवस्था दे दी है आप कृपया उसे स्वीकार करें ।

(घोर व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या 26 ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

कुछ भी नहीं लिखा जायेगा। कोई भी चीज नहीं लिखी जायगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

मैं बहुत दुखी हूं इतना अच्छा सत्र चला जो दृश्य उपस्थित हो रहा है कोई शोभनीय दृष्य नही है।

श्री धनीराम वर्मा–

हमारे माननीय सदस्यों की जिज्ञासा यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पर जो आरोप लगे हैं

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमें आपत्ति है।

श्री धनीराम वर्मा–

यहां आकर मुख्य मंत्री जी जबाब दे दें। जो आरोप लगाये गये हैं उन पर स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि .....

श्री राम तेज यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं तीन बजे तक स्थगित कर रहा हूं।

(2 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष नें सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(मद संख्या 26 पुकारे जाने पर व्यवधान)

नोट – [xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को बुलवायें ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रकरण समाप्त हो गया । मैंने कई बार कहा कि वक्तव्य देने के लिये मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं कोई अपनी तरफ से बात नही कहना चाहता हूं । यह सदन अव्यवस्थित है, केवल एक बात के लिये अव्यवस्थित है कि सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बात कई बार कही जा चुकी है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कितनी बार यह बात कही जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष जी यह प्रश्न अनेक बार उठा आज भी प्रयास हुआ, माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही । व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर यह बात आई और उस समय मैंने व्यवस्था दी थी कि किसी भी मंत्री, मुख्य मंत्री या किसी भी सदस्य को मैं वक्तव्य देने के लिये या स्थिति स्पष्ट करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । कल भी यह प्रकरण सदन में उठा था तो मेरा अनुरोध है कि अभी बहुत सा कार्य है मैंने मद संख्या 26 पुकार लिया है, रेवती रमण जी का नाम ले लिया है । अब यह मांग हो कि मुख्य मंत्री जी आयें और वक्तव्य दें तो मेरी व्यवस्था में यह बात आ गई है । अब मेरा अनुरोध है कि सदन को चलने दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मेरी पूरी बात सुन लीजिये, मैं बुलाने के लिये नहीं कह रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुझे घोर आपत्ति है ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य-विधाता ।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तव जय गाथा ।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चितकाल तक के लिये ।

(सदन की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई ।)

(इसके बाद सदन 03 बजकर 05 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ

01 अप्रैल, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 195 विधान सभा (580)–3-12-99-813 (डी०टी०पी०) ।

विधान सभा सचिवालय